पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 2081
दिनांक- 27.08.2025

जोन- पश्चिमी / थाना चौक

- **थाना चौक पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से 01 शातिर मोबाइल स्नैचर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से लूट की 02 अदद मोबाइल फोन व**
- **घटना मे प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.08.202 को वादी मुकदमा श्री कल्याण सिंह कश्यप पुत्र स्व0 गोकरन नि0 502/84 मनकामेश्वर मंदिर नगर जोशी टोला थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि आज प्रातः फूल मण्डी मे कमल का फूल बेचने हेतु आया था कि एक व्यक्ति मेरी मोबाइल छीन कर मो0सा0 से भागने लगा जिसको आस-पास के लोगो की मदद से रोका गया तथा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया जिस पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर उपस्थित होकर उक्त व्यक्ति को अपने कब्जे मे लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गजेन्द्र आदिवासी पुत्र मिलीटर निवासी ग्राम हिनोतिया पीरान पोस्ट जमूसर कला तहसील व थाना वेरसिया पिरान भोपाल मध्य प्रदेश हाल पता- चार नम्बर प्लेट फार्म चारबाग लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष बताया व जामा तलाशी ली गयी तो अभि0 उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन एक अदद सैमसंग मोबाइल व एक अदद रियल मी मोबाइल व घटना मे प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 होण्डा साइन बरामद किया गया।

अभि0 गजेन्द्र उपरोक्त को उसके द्वारा किये गये जुर्म से अवगत कराते हुए दिनांक 27.08.202 को गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 304(2)/317 बी0एन0एस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आस पास के थाना क्षेत्रो मे पंजीकृत अभियोगो के बारे मे जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

मोबाइल छिनैती।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/व्यवसायः-

1. गजेन्द्र आदिवासी पुत्र मिलीटर निवासी ग्राम हिनोतिया पीरान पोस्ट जमूसर कला तहसील व थाना वेरसिया पिरान भोपाल मध्य प्रदेश हाल पता- चार नम्बर प्लेट फार्म चारबाग लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष (दैनिक मजदूरी)

04-पंजीकृत / अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 215/2025 धारा 304(2)/317 बी0एन0एस थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

05-अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 360/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देहली गेट जनपद अलीगढ

06-बरामदगी का विवरण:-

- लूट की एक अदद मोबाइल सैमसंग
- लूट की एक अदद मोबाइल रियलमी
- घटना मे प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 होण्डा साइन सं0 MP 04 ZL 3853

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना चौक लखनऊ

1. श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री कुलदीप कुशवाहा थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 दीपेश कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

03-बरामदगी:-

- होण्डा एक्टिवा रंग सफेद रजि0 सं0 UP32HA9043 चेचिस नम्बर ME4JF505CG7068460, इंजन नम्बर JF50E73067792
- होण्डा एक्टिवा कलर सफेद रजिस्ट्रेशन नम्बर UP41AK3495, चेचिस नम्बर ME4JF507HHU508042, इंजन नम्बर JF50EU5508093,
- होण्डा एक्टिवा कलर मैटिलिक रजिस्ट्रेशन नम्बर UP32DZ2062, चेचिस नम्बर ME4JC448KB8575950, इंजन नम्बर JC44E1687030

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 299/2025 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सिद्धान्त सिंह,
2. उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय,
3. उ0नि0 आनन्द मिश्रा,
4. का0 मनीष सिंह,
5. का0 रविन्द्र सिंह,
6. का0 जगपाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2080
दिनांक-27.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की 01 अदद मो0सा0 बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.08.2025 को वादी श्री नासीर पुत्र नत्थामास्टर निवासी कमलाबाद बढौली छठामील थाना सैरपुर लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा वाहन संख्या UP32LQ4530 (अपाचे रंग काला) को चोरी कर लिया गया है तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 303(2) बीएनएसएस बनाम अज्ञात पंजीकृत पर विवेचना उ0नि0 श्री राम सिंह को सुपुर्द हुई।

दिनांक 27.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु थाना स्थानीय की टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वाँछित अपराधी में मामूर होकर मिर्जापुर पुलिया के पास रात्रि गश्त कर रहे थे तभी मुखबिर खास की सूचना के आधार पर सरकारी प्राईमरी स्कूल से अभियुक्त मो0 शानू हाशमी पुत्र मो0 नसीम निवासी हाल पता नन्दपुर डूडा काँलोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र लगभग 24 वर्ष को चोरी की गयी मोटरसाइकिल के साथ अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस गिरफ्तार कर लिया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त उपरोक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मो0 शानू हाशमी पुत्र मो0 नसीम पुत्र निवासी हाल पता नन्दपुर डूडा काँलोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र लगभग 24 वर्ष (व्यवसाय –आटो चालक)।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 191/2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना जामकीपुरम लखनऊ

04-बरामदगी:-

- वाहन संख्या UP32LQ4530 (अपाचे रंग काला)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 राम सिंह
2. का0 शिवम कुमार
3. का0 देवेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2085
दिनांक-27.08.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर एवं आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही ।**
- **अवैध एवं अपमिश्रित शराब की तस्करी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से भारी मात्रा में अवैध एवं अपमिश्रित शराब/अन्य समान बरामद ।**
- **तस्करी करने में प्रयुक्त एक अदद स्कूटी नं0-यूपी 41 बी0 एम0 1460 बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.2025 को आबकारी टीम, कमि0 लखनऊ एवं थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कन्हैयाकुंज काम्पलेक्स से अवैध एवं अपमिश्रित शराब की तस्करी करने वाले 04 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अपमिश्रित एवं अवैध शराब बरामद हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-406/2025 धारा 61(2)(ए)/318(4)/338/336(2)/340(2)/350 बीएनएस एवं 60/72 EXC एक्ट पंजीकृत बनाम प्रशान्त जायसवाल आदि 04 नफर एवं 02 नफर वाँछित अभियुक्त के पंजीकृत किया गया है।

02-मॉड्स ऑपरेंडीः-

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मुनाफा कमाने हेतु शराब की खाली बोतलें इकट्ठी कर शस्ती एवं अपमिश्रित शराब भरकर रात्रि के समय शराब की दुकानें बंद होने के पश्चात आने जाने वाले व्यक्तियों को बेंचना ।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि ये सभी लालचवश मुनाफा कमाने हेतु शराब की खाली बोंतले इकठ्ठा कर दुकान से शस्ती शराब क्रय कर मंहगी शराब की बोतल में भरकर अपमिश्रित कर रात्रि के समय शराब की दुकान बंद होने के पश्चात डिमाण्ड अनुसार अपने पहचान के लोगों को काम्पलेक्स से ही अथवा आर्डर करने के पश्चात इसी स्कूटी से घर तक पहुंचा देते थे ।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-406/2025 धारा 61(2)(ए)/318(4)/338/336(2)/340(2)/350 बीएनएस एवं 60/72 EXC एक्टथाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

01-प्रशान्त जायसवाल पुत्र शिव प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम कादिरपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष।
02-विकास जायसवाल पुत्र रमाकान्त जायसवाल निवासी 337/24 तेलियाकोट थाना घन्टाघर जनपद रायबरेली उम्र 30 वर्ष।
03-विकास जायसवाल पुत्र राजेश जायसवाल निवासी सोथी थाना महराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 32 वर्ष।
04-शंशाक निगम पुत्र राजकुमार निगम निवासी ग्राम गंडी संजरखां थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 30 वर्ष

06-वाँछित/फरार अभियुक्तगण-

01-राहुल पुत्र शिव प्रसाद जायसवाल निवासीगण ग्राम कादिरपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव
02-अंकित पुत्र शिव प्रसाद जायसवाल निवासीगण ग्राम कादिरपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव ।

07-गिरफ्तारी स्थल-

- स्थान-कन्हैयाकुंज काम्पलेक्स भोलाखेडा।

08-बरामदगी विवरण –

- अपमिश्रित विदेशी शराब 14 बोतल 750 एमएल,
- 11 अद्धे 375 एमएल,
- नाजायज अवैध शराब 93 पौवे 180 एमएल,
- 63 नकल क्यूआर कोड,
- विभिन्न ब्रांडो के विदेशी मदिरा के नकल 184 ढक्कन,
- 01 सूजा,01 चाकू, 01 छोटा पेचकस, डिस्पो वैन सिरिंज 60 एमएल।
- एक अदद हीरो स्कूटी नं0-यूपी 41 बीएम 1460,
- विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्रांडो की खाली बोतलें व अद्धे-73,
- 5,150/- रुपये नगद बरामद।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- कोतवाली कृष्णानगर एवं आबकारी टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2078

दिनांक 27.08.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- थाना मडियांव पुलिस टीम 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- 75 अदद पुड़िया अवैध स्मैक व 01 अदद मो0सा0 बरामद ।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.08.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में की भिठौली तिराहा पर मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि भिठौली चौराहा से मड़ियाव की तरफ सीतापुर रोड पुल के पास एक व्यक्ति काले रंग की सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल पर बैठा हैं । उसके पास अवैध स्मैक है अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है । मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम तौकीर अहमद पुत्र मो0 अलीम उम्र लगभग 45 वर्ष नि0 न्यु दाउदनगर फैजुल्लागंज थाना मड़ियाव लखनऊ बताया।

जिसके कब्जे से पन्नी में 75 अदद कागज की पुड़िया वजन 23 ग्राम (अवैध स्मैक) बरामद हुआ । पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 8/21 NDPS एक्ट का विधिवत बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

बरादमगी के धारा पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 514/25 धारा 8/21 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया तथा सुपर स्प्लेन्डर मोटर साइकिल वाहन यूपी41एच 4843 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा स्मैक अवैध रूप से खरीदकर चोरी छिपे झुग्गी झोपडी के लोगो को पुडियों के हिसाब से बेच देना जिससे कम समय मे ज्यादा मुनाफा लेकर अपना खर्चा चलाना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तौकीर अहमद पुत्र मो0 अलीम उम्र लगभग 45 वर्ष नि0 न्यु दाउदनगर फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ (व्यवसाय – ठेकेदारी)

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 514/25 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना मडियांव लखनऊ

05-बरामदगी-

- (कुल 23 ग्राम मय) 75 अदद पुड़िया अवैध स्मैक
- 01 अदद सुपर स्प्लेन्डर मोटर साइकिल

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

01.उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह

02.हे0का0 कमलेश कुमार वर्मा

03.हे0का0 गौरव कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2083
दिनांक-27.08.2025

जोन-मध्य / थाना-महानगर

- थाना महानगर पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.08.25 नाबालिक लडकी को कुछ दिनो से स्कूल से वापस आते- जाते समय स्कूटी सं0- यूपी 32 जेएम1510 के चालक/अभियुक्त के द्वारा पीछा व छेडखानी करने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/25 धारा 74/78(1)/296 BNS व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना महानगर लखनऊ में पंजीकृत किया गया।

थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त गुफरान पुत्र रमजान सलमानी निवासी ग्राम अमियापुर पोस्ट बड्डूपुर, थाना बड्डूपुर, जिला बाराबंकी हालपता- 532 क /221 मोहल्ला मेहंदी टोला थाना अलीगंज, लखनऊ उम्र 25 वर्ष की गिरफ्तारी विदिशा पार्क विज्ञानपुरी थाना क्षेत्र महानगर से की है।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त गुफरान पुत्र रमजान सलमानी निवासी ग्राम अमियापुर पोस्ट बड्डूपुर, थाना बड्डूपुर, जिला बाराबंकी हालपता- 532 क /221 मोहल्ला मेहंदी टोला थाना अलीगंज, लखनऊ उम्र 25 वर्ष के द्वारा स्कूल आते जाते लडकियों से छेडखानी करने के सम्बन्ध में ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गुफरान पुत्र रमजान सलमानी निवासी ग्राम अमियापुर पोस्ट बड्डूपुर, थाना बड्डूपुर, जिला बाराबंकी हालपता- 532 क /221 मोहल्ला मेहंदी टोला थाना अलीगंज, लखनऊ उम्र 25 वर्ष

04- अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 224/2025 धारा 74/78(1) /296 BNS व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 उत्कर्ष त्रिपाठी थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक यादव थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2084
दिनांक- 27.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

- **शान्ति भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

उ0नि0 अनिल कुमार गौतम द्वारा दौराने क्षेत्रभ्रमण देखा गया कि 01 व्यक्ति आने जाने वाले लोगों को गाली गलौज कर परेशान कर अभद्र व्यवहार कर रहा है , तथा समझाने बुझाने पर भी न मानने बाले अभियुक्त संदीप पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्य नि0- ग्राम टांड़खेड़ा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 29 वर्ष को मौके पर उ0नि0 द्वारा अभियुक्त संदीप उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु संदीप उपरोक्त किसी की बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुआ बल्कि और अधिक उग्र आमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल संदीप उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया मा0 न्यायालय किया गया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

उग्र होकर अभद्र व्यवहार करना व अमादा फौजदारी होना ,शान्ति व्यवस्था भंग होने सम्बन्धी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01-संदीप पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्य नि0- ग्राम टांड़खेड़ा थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ उम्र 29 वर्ष (व्यवसाय-मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद

1. उ0नि0 अनिल कुमार गौतम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2082
दिनांक –27.08.2025

जोन- दक्षिणी / थाना-निगोहां

नाबालिग द्वारा वादी की पुत्री का फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने व धमकी देने के सम्बन्ध में।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री के नए-नए फर्जी इंस्टा आईडी में फोटो डालकर गलत-गलत मैसेज डालना व अपहरण करने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया गया था। जिसके आधार पर थाना निगोंहा लखनऊ में मु0अ0सं0 116/2025 धारा 351(2)बीएनएस व धारा 66(सी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज लखनऊ के आदेश के क्रम में अति0नि0 श्री रामबाबू थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा की जा रही है।

उक्त विवेचना के क्रम में त्वरित निस्तारण हेतु थाना स्थानीय से पुलिस टीम गठन कर व साइबर सेल की मदद से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी का अपने पडोसी से लगभग चार महीने पहले नाली को लेकर विवाद हो गया था, उक्त रंजिश के कारण पडोसी की नाबालिग पुत्री द्वारा एक फोन अपनी फुफी के लडके से लिया था, जिसमें किसी की ईमेल आईडी पूर्व में लागिन थी। नाबालिग द्वारा उक्त ईमेल आईडी का दुरूपयोग कर फेक इंस्टा आईडी बनाकर, फोटो लगाकर अश्लील कमेंट कर व धमकी देने के सम्बन्ध में नाबालिग द्वारा उक्त कार्य वादी से झगडे के कारण किया था। जिससे सामाजिक रूप से वादी की बदनामी हो सके।

नाबालिग ने पूछताछ में बताया उक्त कार्य करने में उसे अच्छा लगने लगा था, जिससे 12 से अधिक लडकियों के फोटो में अश्लील कमेंट कर फेक इंस्टा आईडी से वायरल करने लगी थी उक्त जांच के क्रम में पुलिस टीम व साइबर सेल की मदद से नाबालिग के फोन को बरामद किया गया तो वर्तमान में उसके फोन में 06 से अधिक फेक इंस्टा आईडी मौजूद है। नाबालिग लडकी की काउसंलिंग कराकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीम व साइबर सेल की मदद से मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण किया गया।

02-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 116/2025 धारा 351(2)बीएनएस व धारा 66(सी) आईटी एक्टथाना निगोहा जनपद लखनऊ

03-अज्ञात से प्रकाश में आयी नाबालिग लड़की

1. नाबालिग उम्र करीब 17 वर्ष

04-बरामदगी–

- एक अदद सैमसंग एंड्रायड फोन

05-सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनूप कुमार तिवारी थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 आनन्द प्रताप सिंह थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 चन्दन कुमार थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
4. उ0नि0 अभिषेक कुमार पाण्डेय थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ
5. म0उ0नि0 गायत्री थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2077
दिनांक 27.08.2025

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27.08.2025 से श्री गणेश चतुर्थी (गणेशोत्सव) पर्व (10 दिवसीय) प्रारम्भ हो गया है। उक्त कार्यक्रम के दौरान दिनांक 27.08.2025 को समय 10.00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक आश्यकतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नानुसार रहेगीः-

1. अयोध्या मार्ग अथवा गोमतीनगर की तरफ से कैसरबाग आने वाली रोडवेज/सिटी बसों को कमता तिराहा से विजयीपुर अण्डरपास चौराहा, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, डिगडिगा (लोहिया) चौराहा, समतामूलक चौराहा, गॉधी सेतु (1090) चौराहा, पीएनटी बालू अड्डा, संकल्प वाटिका तिराहा, चिरैयाझील तिराहा, क्लार्क अवध तिराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुये कैसरबाग बस अड्डा आ-जा सकेंगी।

2. सीतापुर रोड से कैसरबाग आने वाली रोडवेज/सिटी बसों को मड़ियॉव, पुरनिया/डालीगंज रेलवे क्रासिंग, पक्का पुल चौराहा, शाहमीना तिराहा, डालीगंज पुल चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होते हुये कैसरबाग को जा सकेगी तथा वापसी में बलरामपुर ढाल, शहीद स्मारक होकर उपरोक्तानुसार जायेगी।

3. चौक/डालीगंज पुल की ओर से आने वाला सामान्य यातायात क्लार्क अवध तिराहा से सीधे सुभाष चौराहा होकर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात क्लार्क अवध तिराहा से चिरैयाझील तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

4. डालीगंज पुल इक्का तॉगा स्टैण्ड चौराहा से आने वाला सामान्य यातायात गोमती नदी बंधा (झूलेलाल पार्क) होकर नदवा कालेज की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात थाना हसनगंज के सामने से, डालीगंज रेलवे क्रासिंग, आई0टी0 चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

5. टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा से मकबरा रोड की ओर से सामान्य यातायात परिवर्तन चौक की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात कैसरबाग बस अड्डा या सी0डी0आर0आई0 तिराहा, क्लार्क अवध तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

6. निरालानगर की ओर से आने वाला सामान्य यातायात आई0टी0 चौराहा से लखनऊ विश्वविद्यालय मार्ग होकर सुभाष चौराहा की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात आई0टी0 चौराहा से बांये/दाहिने मुड़कर समथर पेट्रोल पम्प होते हुये निशातगंज/डालीगंज पुल से अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

7. कैसरबाग/सी0डी0आर0आई0, क्लार्क अवध तिराहा की ओर से सुभाष चौराहा की ओर सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात क्लार्क अवध तिराहा से सीधे कृष्णा मेडिकल सेंटर होते हुये चिरैयाझील तिराहा की ओर से अपने गंतव्य को जा सकेगा।

8. हजरतगंज चौराहा एवं परिवर्तन चौक की ओर से आने वाला यातायात सुभाष चौराहा से हनुमान सेतु होकर आई0टी0 चौराहा की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मकबरा रोड, टेलीफोन एक्सचेन्ज, सीडीआरआई तिराहा या चिरैयाझील तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

9. हनुमान सेतु/नदवा बन्धा तिराहा से नदवा बन्धा रोड झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात आई0टी0 चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।

नोट-सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन इत्यादि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा वीआईपी कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस, लखनऊ।